

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

फैक्स
निबंधित
ई-मेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :-.....

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- २००-अन्य कार्यक्रम-०००३-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में आपके जिलान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी/आश्रित पेंशनधारियों को ५०००/-रुपये (पांच हजार) प्रतिमाह, प्रति सेनानी की दर से विशेष भत्ता मद में भुगतान करने हेतु निम्न विवरणी के अनुरूप माह अप्रैल, २०१६ से सितम्बर, २०१६ तक छः माह के लिए कुल राशि १०,०९,५०,०००/- रुपये (दस करोड़ नौ लाख पचास हजार) रुपये का आवंटन दिया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	जीवित/आश्रित पेंशनधारियों की संख्या	५०००/- (पांच हजार) प्रति माह प्रति सेनानी की दर से माह अप्रैल २०१६ से सितम्बर २०१६ तक के लिए आवंटित राशि
१.	२.	३.	४.
१.	दरभंगा	१६७	५०१००००
२.	मधुबनी	३६६	१०९८००००
३.	समस्तीपुर	६७	२०१००००
४.	छपरा	७४	२२२००००
५.	सीवान	१३	३९००००
६.	गोपालगंज	२५	७५००००
७.	गया	४७	१४१००००
८.	नवादा	२५	७५००००
९.	औरंगाबाद	१७	५१००००
१०.	जहानाबाद	३८	११४००००
११.	अवरल	२४	७२००००
१२.	मुंगेर	१५१	४८३००००
१३.	लखीसराय	२५	७५००००
१४.	खगड़िया	९२	२७६००००
१५.	जमुई	२१	६३००००
१६.	शेखपुरा	३	९००००
१७.	बेगुसराय	५७	१७१००००
१८.	भागलपुर	२५५	७६५००००
१९.	बांका	१२०	३६०००००
२०.	सहरसा	६०	१८०००००
२१.	मधेपुरा	३५	१०५००००
२२.	सुपौल	२३	६९००००
२३.	मुजफ्फरपुर	९०	२७०००००
२४.	बेतिया	४०	१२०००००
२५.	मोतिहारी	८३	२४९००००

26.	शिवहर	16	480000
27.	सीतामढ़ी	90	2700000
28.	वैशाली	95	2850000
29.	पूर्णियां	43	1290000
30.	किशनगंज	2	60000
31.	कटिहार	38	1140000
32.	अररिया	22	660000
33.	पटना	663	19890000
34.	बक्सर	19	570000
35.	भोजपुर	287	8610000
36.	कैमूर	14	420000
37.	रोहतास	60	1800000
38.	नालंदा	88	2640000
कुल:-		3365	10,09,50,000

(दस करोड़ नौ लाख पचास हजार) रूपये मात्र

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-0401-पेंशन, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं0-एन2235-602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं0-2561, दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

(6) केन्द्रीय राजस्व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों का गत वर्षों का विशेष भत्ता/पेंशन की राशि भुगतान हेतु यदि बकाया हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।